प्रेषक

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक 21/12/2022**

विषय:- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-प्रसार/1152/SMAE/एसटीपी (रा0)/2022-23, दिनांक 01.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) योजनान्तर्गत अनुदान सं0-81 हेतु राज्यांश के रूप में रू0 2.87 लाख की धनराशि सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के पीएफएमएस हेतु बचत खाता सं0-110006273514 केनरा बैंक, IFSC Code-CNRB0000144, अमीनाबाद शाखा उ0प्र0 लखनऊ में हस्तांतरित करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

अनुदान स0/लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधान	स्वीकृति धनराशि (राज्यांश के रूप में)
अनुदान संख्या-81 के लेखा शीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति ़क्षेत्र उप योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8914-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी" के अन्तर्गत "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन"	42-अन्य व्यय	5.86	1.18
	44-प्रशिक्षण	**49.50**	**1.69**
	योग	**55.36**	**2.87**

(रू0 दो लाख सत्तासी हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के पत्र एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व केन्द्रांश की उपलब्धता/आंकड़ों की शुद्धता/बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत उक्त धनराशि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृ़षि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

का होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय विषयक दिशा-निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एव स्टोर परचेज रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आउटसोसिर्ंग के संबंध में जारी निर्देशों/नियमों का अनुपालन कर लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत निर्गत राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कियाजायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है। धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृति राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति आहरण करने से पूर्व कृषि निदेशक द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालाजी के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों/एस0एल0एस0सी0 द्वारा निर्दिष्ट भारत सरकार से सहमति के अनुरूप एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

5- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2- 2528/दस- 2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

6- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि का समय पर सदुपयोग एवं उपभोग आगामी समय सारिणी बनाकर सुनिश्चित कराया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। साथ ही स्वीकृत की जा रही धनराशि की उपलब्धता के सम्बन्ध में कृषि निदेशक स्वयं सुनिश्चित हो लेगें।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा करायी जायेगी।

9- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग/संगत विभागों द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्र्ाी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

11- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीड बैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभाार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12- निर्गत वित्तीय स्वीकृति को आवंटित करने के पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर लिया जाये तथा यह भी यह भी स्पष्ट करा लिया जाये कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

13- विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। कृषि निदेशक द्वारा सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फैजिंग के अनुसार किया जाये तथा कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेण्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

14- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी0-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं दिनांक 08.11.2022 के निर्देशों/प्राविधानों तथा अन्य संगत नियमों/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्श 2022-23 के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान सं0/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

16- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय यू0ओ0 सं0- E-1-289-X-2022-23- दिनांक: 6-12-2022 द्वारा प्रदान की गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है। साथ ही वित्त विभाग की FINRMS पर रू0 14.23 लाख पर सहमति के क्रम में उक्तानुसार रू0 2.87 लाख की धनराशि का ही आवंटन/आहरण/व्यय किया जायेगा।

भवदीय,
देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
विशेष सचिव

सं0- 34/2022/1640123-1310(1)/12-3-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (प्रसार), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic पर अपलोड करने हेतु।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।